FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... जगदीश .... बनाम भूमिधारी तह० बेगूं

करम मुकदमा .... नं. 125/17 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म यां कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/6/19	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब नन्दराई कैम्प मे पधारे होने से अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 9/7/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे आदेश लिखा नहीं जा सका। पत्रावली फाइदा वास्ते मजीद बहस व आदेश दिनांक 25/7/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/7/19	पत्रावली आज पेश हुई वार कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 31/7/19 को पेश की जाय	
31/7/19	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. RO बैठक मे पधारे होने से पत्रावली अब पुर्वानुसार दिनांक 5/8/19 को वास्ते मजीद बहस व आदेश हेतु पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व भूमिधारी तहसीलदार	

PTO

Scanned by CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो इस हुक्म ... में जारी ...
	न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली पर लिखित बहस पूर्व में भी पेश की जा चुकी है। आज मजीद बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम तरमीम शुद्दी का दस्तावेज व रिकार्ड के आधार पर सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। [signature] 5/8/19	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 125/2017

जगदीशचन्द्र पिता सुरजमल मीणा निवासी मेनाल

.....प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज0

.....अप्रार्थी

उपस्थित : श्री आई.एम.अजमेरी
अभिभाषक प्रार्थी
तहसीलदार, बेगूँ
अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 05.08.2019

आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में माननीय राजस्व मण्डल के अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दिनांक 14.07.2014 के प्रकरण संख्या 79/2013 में पारित किया गया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय क्रमशः अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर निर्णय दिनांक 14.07.2014 एवं सहायक कलक्टर बेगूँ निर्णय दिनांक 23.09.2013 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सहायक कलक्टर बेगूँ के निर्णय में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्णतः जांच करते हुए स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया । न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर पक्षकारान को सूचित किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आई.एम. अजमेरी ने दिनांक 21.11.2017 को अपनी उपस्थिति दर्ज करायी गई एवं तहसीलदार जरिए भूमिधारी सरकारी पेरोकार को भी सूचित किया गया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी यहाँ प्रार्थी जगदीश चन्द्र पिता श्री सूरजमल मीणा द्वारा जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । इस प्रार्थना पत्र में उन्होने बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की ग्राम मेनाल पटवार हल्का रावडदा तहसील बेगूँ में आराजी संख्या 233/167 रकबा 1.07 हेक्टर विद्यमान होकर जमाबंदी की खतौनी संख्या एक में अंकित हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजी जरिए पंजीकृत बिकाव नाना पिता विरम भील निवासी मेनाल से दिनांक 29.10.1990 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है एवं गत 21 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थी ने राज्य सरकार द्वारा जारी उन्नत कृषि हेतु प्रावधान एवं स्कीमों के अनुसार कृषि करने

Scanned by CamScanner

हेतु पटवारी हल्का से रेवेन्यू रिकोर्ड की जानकारी चाही तो प्रार्थी को पता चला की मुझ प्रार्थी की रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी में अंकित भूमि नक्शे (मेप) में अन्यत्र अर्थात जहाँ कब्जा काश्त होकर खेती कर रहे है उससे भिन्न स्थान हजार वर्षो से पहाड़ियाँ जंगल एवं पुरानी खदानों के मलबे के पहाडी नुमा ढेर है, बता रखी है इस कारण वह राजस्व रिकार्ड नक्शें में गलत ईन्द्राज हो रहा है उसे दुरस्तीकरण करवा कर जिस स्थान पर वह वक्त खरीद 21 साल पूर्व काश्त कर रहा है नक्शे में दुरस्ती करवा सही स्थान पर नक्शें में ई न्द्राज करवाना चाहता हैं।

प्रार्थी का वर्तमान कब्जा गत 21 वर्षो से आराजी संख्या 167 के उत्तर पूर्व दिशा में निम्न पडोसियो के मध्य बिकावकर्ता से कब्जे में देने अनुसार काबिज है

पूर्व :– हीरा पिता देवा भील की भूमि

पश्चिम :– नाना भील के नाजायज कब्जे की भूमि

उत्तर :– वनखण्ड नया नगर आराजी संख्या 215/167

दक्षिण :– आराजी संख्या 167 शामिल नम्बर बिलानाम

अतः प्रार्थी द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि ग्राम मेनाल के चालू जमांदी में खातेदारी अंकित भूमि आराजी संख्या 233/167 रकबा 1.0760 हेक्टर प्रार्थना पत्र संलग्न जारी नक्शे अनुसार राज्य के रेवन्यू रिकार्ड नक्शे "क,ख,ग,घ," स्थान को हटाकर सही स्थान "अ,ब,स,द "जो नक्शे में पैमूद वर्षो से अंकित आराजी संख्या 232/167,231/167 के पास ईन्द्राज दुरस्त कर नक्शा सही कराने का आदेश फरमावे।

कार्यालय तहसीलदार बेगूँ की अपनी रिपोर्ट में पत्र कमांक राजस्व /2013/901 दिनांक 12.08.2013 मे बताया की खसरा नं0 233/167 रकबा 1.076 हे0 पक्की तरमीम राजस्व नक्शे में मेनाल खनिज बाउण्ड्री वर्तमान में यहाँ पर सेण्ड स्टोन का खनन हो चुका है मलबा का ढेर है व खदाने बनी हुई हैं। अतिकमणशुदा भूमि का रकबा 5 बीघा है। अतिकमण प्रार्थी के पिता का होना मौके पर पाया गया। इस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने सेण्ड स्टोन का स्टॉक लगा रखा है मोके पर भूमि काबिल काश्त नही है इन्होने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूर्व में इस भूमि पर श्री केशुराम पिता हरजी निवासी जलेरी तहसील बिजोलिया का अतिकमण रहा और उसके विरूद्ध अतिकमण की कार्यवाही भी चली हैं।

माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में बताया कि उपरोक्त रिपोर्ट, रिकोर्ड एवं नजरी नक्शे के अवलोकन से कुछ बिन्दु है, जिन पर तहसीलदार बेगूँ ने स्पष्ट रिपोर्ट पेश नही की एवं न ही सहायक कलेक्टर बेगूँ ने अपने निर्णय दिनांक 23.09.2013 में उल्लेख करते हुए विवेचित किया है।

प्रथमः मूल आवंटी नाना पिता वीरम भील को आराजी नंबर 139/2 का आवंटन हुआ और उसके नये नम्बर 233/167 बने ? आराजी नं0 231/167 व 232/167 जो

Scanned by CamScanner

नजरी नक्शों में तो 131/167 व 132/167 दर्शाये गये। किन्तु पटवारी रिपोर्ट में 231/167 व 232/167 दर्शाये गये हैं एवं तहसीलदार रिपोर्ट में भी 231/167 व 232/167 दर्शाये गये हैं। अगर नजरी नक्शे में यह नम्बर 231/167 व 232/167 ही है तो क्या सही तरमीम में खसरा नं0 233/167 इन दोनो नम्बर के समीप होना चाहिए ?

- आराजी नं0 215/167 का कुल रकबा कितना है और यह कहाँ तक विस्तारित है । जबकि आराजी नम्बर 167 काफी बडा रकबा है ?
- यह भी स्पष्ट किया जावे कि क्या आवंटी को आराजी नम्बर 233/167 का जहां तरमीम किया गया हैं वह स्थान आराजी नम्बर 136 में आता है?

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर करने के बाद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कमिश्नर नियुक्त करने हेतु पेश किया गया । कार्यालय तहसीलदार से आदेश कमांक/एलआर/18/1639 दिनांक 12.11.2018 को मोके की जांच रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे तहसीलदार बेगूँ ने जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मेनाल की आराजी संख्या 233/167 रकबा 1.0760 हे0 एवं आराजी नं0 167 मी. रकबा 44.17 हे0 का मोका देखने पर ग्राम मेनाल की आराजी संख्या 233/167 रकबा 1.0760 हे0 भूमि जो तरमीम शुदा होकर नक्शे में खनन बाउण्ड्री "ए,बी,सी,डी," के मध्य तथा बाउण्ड्री के दक्षिण की तरफ सटी हुई हैं। मूल आराजी नं0 167 मी0 रकबा 44.172 हे0 के पूर्वी दिशा में जगदीश की कब्जे शुदा नवीन प्रस्तावित रकबा 1.076 हे0 भूमि हाकी हुई होकर खेती योग्य खेल बना हुआ होकर वर्तमान में पड़त पड़ी है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में लगभग वन विभाग की आराजी नं0 215/167 से लगती हुई होकर राष्ट्रीय राजमार्ग– 27 से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 233/167 तरमीम शुदा से लगभग 600 मीटर दूरी पर स्थित हैं।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि ग्राम मेनाल प0ह0 रावडदा तहसील बेगूँ में आराजी सं0 233/167 रकबा 1.0760 हे0 विद्यमान होकर रेवेन्यू रिकार्ड, जमाबन्दी खेवट खतौनी में भी अंकित हो रिर्कोर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हैं। प्रार्थी को पटवारी हल्का रावडदा द्वारा बताया गया की आराजी संख्या 233/167 खदानों एवं जंगल के मध्य A,B,C,D ब्लॉक मेनाल के मध्य A:B,C ब्लॉक मेनाल के मध्य घुसी हुई है नक्शे में इसी अनुसार दर्ज है। जहाँ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पडोसों के मध्य जमीन बता रहे हो रेवेन्यु रिकोर्ड के नक्शे में यहा नही हैं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ एक नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है, जिसमें लाल स्याही से अ, ब, स, द दर्शाया गया है यह

Scanned by CamScanner

भूमि प्रार्थी ने नाना भील से जिसको अलोटमेंट द्वारा प्राप्त की थी। बाद में जरिये रजिस्टर्ड बिकाव नामें द्वारा 29.10.1990 द्वारा प्रार्थी ने यह जमीन प्राप्त की। प्रार्थी की इस कब्जे शुदा आराजी को पटवारी, रेवेन्यु इंसपेक्टर या अन्य अधिकारी ने द्वेषतावश जहा पटवारी ने नाना भील को पैमूद की थी उसके स्थान भिन्न जंगल व खनन विभागों की खदानों के मध्य गलत तरिके से क,ख,ग स्थान गलत अंकन कर दिया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि मात्र राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रेकार्ड के नक्शे में गलत भिन्न स्थान पर दर्ज कर दी है। लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी /पीटशीनल के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम मेनाल पटवार हल्का रावडदा तहसील बेगूँ में आराजी संख्या 233/167 रकबा 1.0760 हेक्टर विद्यमान होकर रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी खतौनी में भी अंकित हो रिकार्ड प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है। राज्य सरकार की स्कीमो के तहत उन्नत कृषि करने एवं सरकार स्कीमो को अपनाने हेतु पटवारी हल्का रेवेन्यु रिकार्ड प्राप्त करने हेतु नकले लेने प्रार्थी पहुंचा तो उसे पटवारी द्वारा बताया गया कि आराजी संख्या 233/67 ,खदानो एवं जंगल के मध्य ए बी सी ब्लॉक मेनाल के मध्य घुसी हुई है नक्शा में इसी अनुसार दर्ज है। जहां प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पडोसो के मध्य जमीन बता रहे हो रेवेन्यु रिकार्ड के नक्शे में यहॉ नहीं है। जिस पर प्रार्थी ने वांछित नकले प्राप्त कर इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र है। पत्रावली में नजरी नक्शा में भी लाल स्याही से अ ब स द दर्शाया है। यह भूमि प्रार्थी ने नाना भील से जिसको उसने अलोमेन्ट द्वारा प्राप्त की थी, गैरखातेदारी में दर्ज होने पर नियत समय खातेदार प्राप्ति हेतु 10 वर्ष गुजरने पर नाना को खातेदारी हक प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने 29.10.90 को पंजीकृत बिकाव नामे से कब्जा प्राप्त किया। जिसके पडोस भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अकित है। किन्तु प्रार्थी के इस कब्जे शुदा आराजी को पटवारी रेवेन्यू इन्सपेक्टर या अन्य अधिकारी ने द्वेषतावश जहॉ पटवारी ने नाना भील को पैमूद की थी उससे भिन्न स्थान जंगल और खनन विभाग की खदानो के मध्य गलत तरीके से क ख ग स्थान पर गलत अंकित कर दी। जिसे अब सही स्थान जिस पर 40 वर्ष करीब से अलोटी नाना भील व उसके पश्चात प्रार्थी का कब्जा काश्त है को सही स्थान कब्जे व काश्त में अ ब स द स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा दुरूस्त करवाना चाहा है। प्रार्थी अपने सही कब्जे व काश्त के आराजी संख्या 233/167 जो नजरी नक्शे में अ ब स द स्थान पर दर्शाया गया है क ख ग घ गलत स्थान से निरस्त करवा सही स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती करवाया जाना निम्न कारणो से अति आवश्यक है :

1. यह भूमि नाना पिता वीरम भील को आवंटित हुई थी उसको गैरखातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त होने पर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रार्थी ने नियमानुसार कब्जा प्राप्त किया और रेवेन्यु रिकार्ड प्रार्थी के नाम ही अंकित है।

Scanned by CamScanner

किन्तु रेवेन्यू अधिकारीगण द्वारा द्वेषतावश भिन्न स्थान कब्जा के आधार से जिस पर प्रार्थी काफी लम्बे समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है रेवेन्यू रिकार्ड के नक्शे में गलत भिन्न स्थान पर दज कर दी है। इस प्रकार इस भूमि को प्रार्थी काफी अरसे से उपयोग व उपभोग कर लाखो रूपये खर्च कर अकृषि को कृषि बनाया है यह तथ्य मोका पर्चा पटवारी तहसील बेगूँ से भी स्पष्ट है जो अभी हाल ही में इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है अर्थात अ ब स द आराजी संख्या 233/167 यही है।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने पडोसो की भी चारो पडोसो को अंकित किया है यह भूमि खनन विभाग के ए बी सी खनन विभाग के ब्लॉक के मध्य करीब 600 मीटर दूर कैसे जा सकती है। इसका उल्लेख माननीय न्यायालय राजस्थान राजस्व मण्डल के निर्णय में भी आपत्तिजनक तरीके से विशेष तौर पर किया है और प्रश्न किया है कि क्या सही तरमीम में खसरा संख्या 233/167 इन दोनो नम्बरो याने 231/167 व 232/167 के समीप नहीं होना चाहिए? माननीय न्यायालय ने और आगे उल्लेख किया कि सीरियल को बिकाड कर आराजी संख्या 233/167 को लगभग एक डेढ किलोमीटर दूर ले जाकर अन्यत्र गलत स्थान पर नक्शे में अंकित किया है जो त्रुटीपूर्ण एवं इन्टेशनली जानबूझकर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने के लिये किया गया है।
3. नक्शा रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी की आराजी संख्या 233/167 खनन विभाग राजस्थान के मेनाल खनन ब्लॉक ए बी सी के मध्य अंकित करना त्रुटीपूर्ण ही नहीं बल्कि खनन विभाग की भूमि के मध्य रेवेन्यू लैण्ड को किस प्रकार अंकित किया जा सकता है।
4. वास्तव में आराजी संख्या 233/167 प्रार्थी के पूर्व खातेदार नाना भील को अ ब स द भूमि ही अलोट की गई थी एवं अलोटी को पटवारी द्वारा इसी स्थान पर कब्जा दिया गया था, नक्शे में गलत इन्द्राज इससे भी साफ स्पष्ट है कि यह कृत्य रेवेन्यू अधिकारीगण का द्वेषतावश क्षति पहुंचाने वाला कृत्य है। इस गलत कार्य को सही बताने हेतु पटवारी रेवेन्यू इन्सपेक्टर व तहसीलदार ने दिनांक 14.5.2013 के आदेश जिसमें वास्तविक रिपोर्ट दिनांक 29.05.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश था उसे करीब 3 महीन विलम्ब कर अपनी और से गलत तथ्यो द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
5. अभी हाल में माननीय न्यायालय अजमेंर के द्वारा रिमाण्ड की गई उसके आधार पर अभी हाल के पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई जिसमें भी पटवारी ने अ ब स द स्थान पर प्रार्थी का कब्जा काश्त बताया गया है एवं खनन विभाग के खनन

Scanned by CamScanner

बाउन्ड्री के मध्य क ख ग घ स्थान में नक्शे में तरमीम करना वास्तविक स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर बताया है।

6. पुराने रिपोर्ट तहसील में प्रार्थी की भूमि वन विभाग में दर्शायी गई थी जो गलत अंकित है। भूमि फोरलेन सडक से सटीक होना भी गलत है, अभी हाल की रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने फोरलेन एवं विवादित आराजी के मध्य वन विभाग की भूमि संख्या 215/167 स्थित होना बताया है जो कि वास्तव में नक्शा ट्रेस में वन विभाग की भूमि 215/167 स्थित है।
7. पूर्व वाली रिपोर्ट तहसील बेगूँ किसी भी प्रकार मान्य नहीं है क्योकि उस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भारी आपत्ति एवं त्रुटी बताई है।
8. मामले हाज में प्रार्थी की अ ब स द भूमि आराजी संख्या 233/167 जो नक्शा रेवेन्यू रिकार्ड में सही स्थान से भिन्न स्थान पर जानबूझकर प्रार्थी को क्षति पहुंचाने के लिये कही गई है को सही स्थान पर तरमीम द्वारा पुनः नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती कर तरमीम किये जाने में किसी व्यक्ति विशेष को या राज्य सरकार को हानी पहुंचाने की बात सही नहीं हो सकती है। रेवेन्यू रिकोर्ड में खातेदार अंकित है व जिस स्थान पर काश्त कर रहा है उसी स्थान पर अपनी भूमि को दुरूस्त और सही इन्द्राज करवाने का प्रार्थी अधिकारी है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार बेगूँ ने अपनी लिखित बहस में बताया कि

1. ग्राम मेनाल की आ0सं0 233/167 रकबा 1.0760 हैटर भूमि जो तरमीमशुदा होकर नक्शे में खनन बाउण्ड्री ए बी व सी के मध्य तरमीम है एवं ए बी व सी खनन बाउण्ड्री के दक्षिण और तरमीमशुदा है।
2. आ0सं0 233/167 मौके पर अकृषि योग्य होकर मौके पर रलाव है तथा खान का मलवा पडा होकर पडत व खनन के खण्ड है।
3. उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर जगदीश मीणा के कब्जेशुदा भूमि जो हांकी हुई होकर खेल बना हुआ होकर वर्तमान में पडत है, जो नक्शे में तरमीमशुदा के आराजी नं0 232/167 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म चाह के पश्चिमी दिशा में चाह से लगभग 170 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि वन भूमि आ0नं0 215/167 के दक्षिण और सटी हुई होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिणी राष्ट्रीय राजमार्ग–27 से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4. मिलान खसरा अनुसार आराजी संख्या 136 मी. एवं आराजी संख्या 140 मी. के नये नम्बर 167 बने है।

बिन्दु संख्या 1 से 4 एवं इस कार्यालय के पत्र कमांक/एल.आर./2018/1639 दिनांक 12.11.2018 से भू–अभिलेख निरीक्षक ठुकराई की रिपोर्ट, पर्चा मौका एवं

Scanned by CamScanner

नजरी नक्शा श्रीमान की सेवा में प्रेषित किये है जिसमें दर्शाये गये तथ्यों को लिखित बहस माना जावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया।

पत्रावली के संक्षेप्त में तथ्य की प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के स्वामित्व व खातेदारी ग्राम मेनाल में प0ह0 रावडदा तहसील बेगूँ आराजी सं0 233/167 रकबा 1.076 हे0 जो उसने जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा नाना पिता वीरम भील निवासी मेनाल से दिनांक 29.10.1990 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । जमाबंदी संवत् 2063–2066 खाता सं0 7 खसरा नं0 233/167 रकबा 1.0760 हे0 श्री जगदीश चन्द्र पिता सुरजमल मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज हैं।

प्रार्थी ने नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 12.11.1990 को अपनी भूमि जरिये विक्रय विलेख द्वारा नाना पिता वीरम भील से क्रय की थी। नाना पिता वीरम भील ने मूल नम्बर 167 मे से आराजी संख्या 233/167 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा गैर खातेदारी दर्ज हुई। 10 वर्ष पश्चात खातेदारी नामान्तरण 32 स्वीकृत किया गया। नाना पिता वीरम भील को खसरा 139/2 में से 5 बीघा किस्म बंजड आवंटन हुआ। तहसीलदार बेगूँ की रिपोर्ट के अनुसार मिलान खसरा अनुसार आराजी संख्या 136 मीन व आराजी संख्या 140 मीन के नये नम्बर 167 बने है। आराजी नं. 167 बडा खसरा नम्बर है, जहॉ पर समय समय पर विभिन्न आवंटन हुए। यह कतई जरूरी नहीं है कि किसी एक खसरे मे सभी आवंटन पास पास हो। आवंटन अनुसार खसरा नं0 231/167 व 232/167 के पास 233/167 के पास होना जरूरी नही है। प्रार्थी उस भूमि पर खरीददार है, वर्तमान में जहॉ वह अपना कब्जा दर्शा रहा है वह भूमि बिलानाम है, जबकि 233/167 नाना पिता वीरम भील को आवंटन हुई थी। प्रार्थी द्वारा अपने किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा या आवंटन नक्शा ट्रेस द्वारा यह कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाये कि उसको आवंटन वर्तमान में जहॉ प्रार्थी का कब्जा है वहॉ ही है। खसरा नम्बर 233/167 की तरमीम पहले की जा चुकी है, वर्तमान में वहॉ खान का मलबा है, वह भूमि प्रार्थी की तरमीमशुदा है। वर्तमान में वह जिस जगह पर अपना कब्जा बता रहा है वह भूमि 167 जो आरोली टॉल नाका के पास है। इस भूमि पर प्रार्थी का सिर्फ कब्जा हैं। तहसीलदार बेगूँ की वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में यहॉ पर श्री केशुराम पिता हरजी बंजारा निवासी जलेरी का अतिक्रमण रहा तथा उसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही भी चली है। यह भूमि मूल खातेदार नाना पिता वीरम भील को आवंटित हुई थी जिसको आवंटन की शर्तो का पालन करने पर खातेदारी अधिकार दिये गये। उसको जहाँ आवंटन हुई वहीं तरमीम की गई। अगर वह गलत थी तो मूल आवंटी ने कभी इसकी आपत्ति पेश नही की।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने उक्त भूमि 1990 मे आवंटी नाना पिता वीरम भील से क्रय की है जबकि इस प्रार्थना पत्र को प्रार्थी द्वारा 2011 मे पेश किया गया। अतः तब तक प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 के अनुसार "अधिकार अभिलेख में किए गए समस्त इन्द्राजो के सही होने की उपधारणा तब तक की जायेगी जब तक विपरित सिद्ध न कर दिया जाये" अतः प्रार्थी द्वारा सिर्फ इस आधार पर की राजस्व कर्मचारियों ने अपने द्वेषतापूर्वक गलती के कारण गलत तरमीम कर दी गई। वर्तमान में जहॉ प्रार्थी की तरमीम की गई है वह तहसीलदार बेगूँ की रिपोर्ट के अनुसार खनन बाउण्ड्री के दक्षिण और तरमीम शुदा है आराजी नं. 233/167 मौके पर अकृषि योग्य होकर मौके पर खनन का मलबा पडा है व भूमि पडत होकर खनिज के खड्डे है।

माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय जिस आपत्ति के साथ रिमाण्ड किया कि "मूल आवंटी नाना पिता वीरम भील को आराजी नम्बर 139/2 का आवंटन हुआ और इसके नये नम्बर 233/167 बने।" रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि नाना पिता वीरम भील को 139/2 से 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ। इस भूमि के नये नम्बर 233/167 बनें पटवारी हल्का की पूर्व रिपोर्ट जो 2013 में पेश की गई थी जिसमें रिपोर्ट में आराजी नम्बर 231/167 व 232/167 अंकित किया गया जबकि नजरी नक्शा में 131/167 व 132/167 दर्शाया गया जो की लिपिकीय व लेखन त्रुटी है वह आराजी नम्बर 232/167 व 231/167 की हैं। नजरी नक्शें में यह नम्बर 231/167 व 232/167 ही है। वह यह जरूरी नहीं है कि 231/167 व 232/167 के समीप ही 233/167 की तरमीम की जावे, क्योकि मूल खसरे में अलग अलग समय आवंटन शर्तो को पूरा करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया पर आवंटन प्रार्थी के कब्जे के आधार पर किया जाता है। प्रार्थी का जहॉ कब्जा है वहॉ उसका आवंटन शर्तो की पूरी करने पर किया जाता है प्रार्थी द्वारा समय के अनुसार उसको आवंटन के साथ नये नम्बर अंकित कर दिया जाता है, प्रार्थी का जहॉ वर्तमान में तरमीम है, वही उसको आवंटन हुआ है अतः प्रार्थी का पहले कब्जा इसी जगह पर था जहॉ इसको आवंटन हुआ है वही तरमीम भी कर दी गई है।

उक्त भूमि पर खनन किया है लेकिन प्रार्थी द्वारा वहॉ अपना कब्जेशुदा भूमि पर खनन करने के बाद वहॉ मलबा हो। प्रार्थी द्वारा अपने दस्तावेजो के आधार पर कही यह सिद्ध नहीं कर पाये की उनको वर्तमान में जहां उसका कब्जा है, वही उसको आवंटन हुई ना ही नक्शे ट्रेस या किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर सिद्ध किया। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का वर्तमान कब्जेशुदा भूमि पर आवंटन इसी जगह पर सिद्ध नहीं होने के कारण वर्तमान कब्जेशुदा स्थान पर तरमीम करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आराजी नम्बर 215/167 का कुल रकबा 19.67 हैक्टर किस्म

Scanned by CamScanner

पहाड यह राष्ट्रीय राजमर्ग एन एच 27 के दक्षिण नम्बर 232/167 व 231/167 के उत्तर में स्थित है। अतः यह आराजी नम्बर 215/167 वन खण्ड है। नया नगर तहसीलदार बेगूँ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिलान खसरा अनुसार आराजी संख्या 136 मी व आराजी संख्या 140 मी के नये नम्बर 167 बने है एवं 167 खसरा नम्बर काफी बडा है। जिसका रकबा 510 बीघा व 14 बिस्वा है। अतः खसरा नम्बर 167 मे अन्य आवंटन होने के कारण 233/167 नया नम्बर बना है। इस आधार पर यह कही सिद्ध नहीं हो रहा है कि प्रार्थी को आराजी नम्बर 231/167 व 232/167 के समीप 233/167 तरमीम होनी चाहिए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कही सिद्ध नहीं होता है।

राजस्थान भू–राजस्व की धारा 136 के अनुसार "भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिसका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें किसी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।" इस धारा के अनुसार इस तरमीम के संबंधित कोई ऐसी गलती प्रकट नहीं होती है, ना ही प्रार्थी द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर कही यह सिद्ध किया गया कि उनकी तरमीम गलत की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत धारा अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज करना उचित प्रतीत होता है।

– निर्णय –

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थी द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजो के आधार पर सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

5.8.19

(रमेश चन्द्र पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner